राजस्थान सरकार
पंचम राज्य वित्त आयोग
प्रथम तल, बी–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर–302 005
फोन नं.– 0141–2742881, 2742833 फैक्स 2742875
**E-mail Address :- sfc-5@rajasthan.gov.in**
**wedsite: www.sfc.rajasthan.gov.in**

जयपुर दिनांकः–26.04.2016

## पेयजल व्यवस्था

पेयजल मूलभूत आवश्यकता है। राज्य की पेयजल समस्या के मध्यनजर 14वें केन्द्र एवं पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदनो मे इस सम्बंध मे विशेष उल्लेख एवं अनुदान स्वीकृत किये जाने की सिफारिशे की गई। वित्त आयोगो द्वारा स्वीकृत अनुदान राशियो का उपयोग पेयजल व्यवस्था हेतु किये जाने से संम्बधित दिशानिर्देश पंचायती राज विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.10.2015 एवं 14.12.2015 द्वारा पूर्व मे ही सभी जिला परिषदो एवं पंचायत समितियो को जारी किये जा चुके है जो इन विभागो की वेबसाइट पर भी अपलोड किये गये। इन दिशानिर्देशो मे पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प निमार्ण/संवर्धन तथा खराब हैण्डपम्पो का उचित सधारण कराना भी सम्मिलित है।

इसी प्रकार स्वायत्त शासन विभाग ने अपने पत्र दिनांक 23.07.2015 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुदान राशि केवल मूलभूत सेंवाओ जिसमे जल पूर्ति सम्मिलित है हेतु व्यय किये जाने के निर्देश जारी किये तथा परिपत्र दिनांक 14.12.2015 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि का 85% भाग आधारभूत एवं विकास कार्यो के लिये 10% भाग राष्ट्रीय महत्व की योजनाओ जिनमे पेयजल भी शामिल है किये जाने के निर्देश जारी किये जो इन विभागो की वेबसाइट पर भी अपलोड किये गये।

इस प्रकार पेयजल व्यवस्था हेतु 14वें केन्द्र एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशियों के उपभोग से सम्बंधित दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा पूर्व मे ही जारी किये जा चुके है जिनका क्रियान्वयन पंचायतीराज संस्थाओ/शहरी स्थानीय निकायो के स्तर पर होना है।